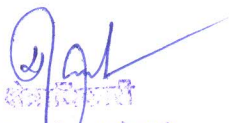


परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी राज्य मार्ग 34 से मालई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.420 हे० सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे० कुल भूमि 0.450 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रकरण में 1 हे० से कम भूमि हस्तान्तरण होना है।
अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि नहीं ली जानी है, अपितु 10 गुना वृक्षों को रोपित किया जायेगा, जो ~~इस पथ~~ ^{म० प्रयाग - नौटी मोटर मार्ग} के किनारे पर प्रस्तावित है। इस हेतु क्षेत्र उपयुक्त हैं।


प्रभागीय वनाधिकारी
धनपुर बग (लो० वि०)

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी